कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Labour & Employment, Government of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद/REGIONAL OFFICE, ALLAHABAD

53, लीडर रोड, यूनाइटेड टावर (दूसरी व तिसरी मंजिल)/53, Leader Road, United Tower (2nd & 3rd Floor) PIN-211 003 [U.P.]

Phone NO. 0532-2401619 FAX NO. 0532-2401620 E-Mail –sro.allahabad@epfindia.gov.in

Letter No……/EPFO/RO/ALD/Admn/Tender/2018-19 Dated: 14/5/18
399

ई-निविदा सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा अनुबंध आधार पर संविदा अवार्ड करने की तिथि से एक वर्ष के लिए मासिक आधार पर भाड़े के लिए एक (1) श्वेत रंग की मिड साइज (ए.सी.) **कामर्सियल कार (Taxi) (हुंदई वेरना/होंडा AMAZE/टाटा JEST/इंडिगो/मारुति सुजुकी CIAZ/स्विफ्ट डिजायर/समानक कार जो अच्छी कंडीशन में हो एवं 2017 के पहले की मॉडल न हो)** हेतु पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों से मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। **अधिकतम मासिक किराया सभी कर सहित रूपये 36,000=00 (छत्तीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होना चाहिए।** वाहन समान्यतः इलाहाबाद जिले में यात्रा करने हेतु आवश्यक है, लेकिन जरूरत के आधार पर कार्यालयी प्रयोजन हेतु इलाहाबाद के बाहर भी जाना आवश्यक हो सकता है। पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियो को चाहिए कि वे अपनी एजेंसी/वाहन से संबन्धित सभी संगत दस्तावेज़ जैसे- नाम व पता, पैन, वाहन पंजीकृत कागज/प्रमाण पत्र आदि निविदा सूचना के साथ अवश्य संलग्न करें। मोहरबंद कोटेशनों कि प्राप्ति की अंतिम तिथि 04.06.2018 को अपराहन 03.00 बजे तक होगी। मोहरबंद लिफाफे में प्राप्त निविदा कोटेशन उसी दिन अपराहन 04.00 बजे बिड़रों के समक्ष (यदि कोई उपस्थित हो) खोले जाएंगे। **विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध है।** निविदा प्रपत्र " कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, यूनाइटेड टावर (तृतीय मंजिल), 53 लीडर रोड, इलाहाबाद(उ.प्र.) से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं।

निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. ड्राईवर से संबन्धित सभी खर्च, तेल, पेट्रोल/डीजल, कम्प्रेहेंसिव बीमा, टैक्स, वाहन संबंधी मरम्मतें एवं अनुरक्षण आदि कि ज़िम्मेदारी दूसरी पार्टी की होगी।
2. ड्राईवर और वाहन को चाहिए कि वे मोटर वेहिकल अधिनियम एवं संगत कानूनों का अवश्य अनुपालन करें। ड्राईवर को चाहिए कि वह हर वक्त वर्दी (सफ़ेद सफारी/सफ़ेद शर्ट-पैंट) पहने। उसकी सेवाएँ नियंत्रण अधिकारी की संतुष्टि पर होगी। किसी अधिकारी के अनुदेशों पर हटाया गया कोई भी ड्राईवर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा।
3. दुस्साहस ड्राइविंग/दुर्घटना आदि से उतपन्न होनेवाले सभी कानूनी एवं वित्तीय परिणामो के लिए दूसरी पार्टी/ड्राईवर संपूर्णतः बाध्य (ज़िम्मेवार) होंगे।
4. पहली पार्टी से माइलेज कि गणना होगी।
5. ईंधन भरने वाहन के मरम्मत व अनुरक्षण हेतु उपभोग किया गया माइलेजे व समय कुल माइलेज व समय में से निकाला जाएगा।
6. वाहन के खराब होने या मरम्मत मे होने या ड्राईवर के अनुपस्थित होने या ड्राईवर नशे की हालत मे होने की स्थिति मे आधे घंटे के भीतर दूसरी पार्टी को चाहिए कि वह वैकल्पिक वाहन और ड्राईवर का प्रबंध करे। दूसरी पार्टी के उक्त प्रबंध करने मे असफल होने, या वैकल्पिक वाहन/ड्राईवर संतोषजनक न होने की स्थिति में पहली पार्टी को हक होगा कि वह अन्य शोफर/ड्रिवेन वाहन भाड़े पर ले और उस भाड़े के साथ प्रति दिन रु. 1500/- के हिसाब से दूसरी पार्टी से जुर्माना भी वसूल करे।

----2--

7. कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को 45 दिन कि अग्रिम सूचना देकर वाहन भाड़ा करार समाप्त कर सकती है।

8. वाहन/ड्राईवर क्षेत्र/अंचल के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर भी यात्रा करने के पात्र होने चाहिए।

9. दूसरी पार्टी द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर, लागू आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर स्रोत पर कर (टैक्स) कटौती के पश्चात भाड़ा प्रभार का भुगतान अकाउंट पेयी चैक द्वारा किया जाएगा।

10. भाड़ा प्रभार के परिकलन हेतु दूसरी पार्टी को चाहिए कि वह लॉग बुक उपलब्ध कराए। लॉग बुक का फॉर्म केंद्र सरकार/ई.पी.एफ. विभाग द्वारा अपने कार्यालयी वाहन के लिए अनुरक्षित जैसा ही होना चाहिए। लॉग बुक का अनुरक्षण दूसरी पार्टी करेगी और उसका सत्यापन पहली पार्टी द्वारा खुद या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्रति दिन के आधार पर करवाएगी। संविदा के समाप्त होने पर दूसरी पार्टी लॉग बुक जमा करेगी।

11. ड्राईवर/वाहन के रिपोर्ट की समय सीमा का सख्त पालन करना होगा और आधे घंटे से अधिक देरी होने कि स्थिति मे पहली पार्टी का हक होगा कि वह अन्य शोफर-ड्रिवेन वाहन भाड़े पर ले और दूसरी पार्टी को देय भाड़ा प्रभार मे से उस भाड़े के साथ उस चूक के लिए पार्टी दिन रु. 1000/- के हिसाब से जुर्माना भी वसूल करे।

12. दूसरी पार्टी द्वारा समय पर एवं सही ढंग से वाहन का अनुरक्षण व मरम्मते न किए जाने कि स्थिति मे पहली पार्टी को अधिकार होगा कि वह वाहन कि मरम्मतें करवाकर रकम देय भाड़ा प्रभार में से काट ले। 15 दिन की अग्रिम सूचना देने के बावजूद वाहन को सही ढंग अनुरक्षित स्थिति मे न रखने की स्थिति में भाड़ा करार समाप्त किया जाएगा।

13. वाहन संबंधी सभी खर्च एवं कानूनी औपचारिकता का निसपादन दूसरी पार्टी द्वारा किया जाएगा।

14. मासिक भाड़ा प्रभार मे विशिष्ट उपलधता को छोडकर सभी कर, उगाही, उपकर आदि सम्मिलित होगा।

15. दूसरी पार्टी अनुगामी माह के 15वी तारीख तक 2300 कि.मी. दूरी के लिए भाड़ा प्रभार संबंधी मासिक बिल प्रस्तुत करेगी एवं तदनुसार पहली पार्टी भुगतान करेगी फिर भी, वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी की समीक्षा करार के अंत मे की जाएगी। शेष अधिक मील दूरी (ऊपर लिखित ऑफसेट के बाद) के लिए कोट की गई राशि के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

16. ड्राईवर एवं वाहन के लिए ड्यूटी घंटे सभी दिनो मे सुबह 8.00 बजे से रात के 7.00 बजे तक होंगे। आपात की स्थिति मे ड्राईवर को 24 घंटे रोका जा सकता है और अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी। यदि पता चला कि ड्राईवर शराब या अन्य किसी नशीली पदार्थ जैसे ड्रग्स आदि लेने के कारण नशे कि हालत मे हैं, तो उसके लिए रु. 1500/- का जुर्माना काटा जाएगा।

17. संविदा अवार्ड करने दी तिथि से एक वर्ष तक लागू होगा।

18. संलग्नक "B" मे दर्शाये गए दरों के अनुसार पहली पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को किए गए भुगतान के प्रतिफल मे दूसरी पार्टी संलग्नक "A" मे दर्शाये गए रूप मे पहली पार्टी को भाड़े के लिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्रसंविदाबद्ध होगी।

19. दूसरी पार्टी द्वारा संलग्नक "A" मे दर्शाये गये रूप में भाड़े के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु पहली पार्टी अधिक प्रभार या उनके बीच किए गए संविदा के प्रावधान के अंतर्गत देय अन्य किसी राशि के भुगतान के लिए प्रसंविदाबद्ध होगी।

--3--

20. संविदा को प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर दूसरी को चाहिए कि वह वार्षिक रकम मे से 10% राशि के लिए सी.बी.टी., ई.पी.एफ. के नाम पर बैंक गारंटी प्रस्तुत करें।
21. सभी कानूनी विवाद इलाहाबाद क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

इच्छुक पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियां अपनी निविदाएँ निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय, 53, लीडर रोड,
यूनाइटेड टावर, 3rd & 4th फ्लोर,
इलाहाबाद - 211003 (उ.प्र.)

निविदाकार को चाहिए कि वह लिफाफे के ऊपर **"भाड़े के लिए वाहन हेतु कोटेशन"** अवश्य लिखे। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इलाहाबाद को अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकते हैं।

(आशीष कुमार)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त,
कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II/प्रभारी अधिकारी,
क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, इलाहाबाद

ANNEXURE-'A'

निविदा का प्रारूप

FORMAT OF TENDER

1	पंजीकरण संख्या Registration No.	
2	वाहन श्रेणी/मॉडल नाम Vehicle Class	मोटर कैब/motor cab
3	विनिर्माण वर्ष Mfg. Year	
4	उपयोगी ईंधन Fuel Used	
5	इंजन संख्या Engine No.	
6	चेसिस संख्या Chasis No.	
7	हार्स पावर Horse Power	

ANNEXURE-"B"

रेट चार्ट प्रति वाहन
RATE CHARTE PER VEHICLE

अवधि Duration	अतिरिक्त समय Over Time	न्यूनतम घंटे प्रतिदिन Min. Hours per day	न्यूनतम कि.मी. प्रति माह Min. Kms. per month	भाड़ा प्रभार प्रति माह Hire charges per month	एक वर्ष में 2300 कि.मी. से अधिक अतिरिक्त प्रभार Extra Charges beyond 2300 Kms. in one year
संविदा अवार्ड करने की तिथि से एक वर्ष के लिए For the period of one year from the date of awarding the contract	रु.______/- प्रति रात एवं अतिरिक्त समय सं. Rs.______/- Per night & no. overtime	10 घंटे 10 Hours	एक वर्ष के लिए 2300 कि.मी. समायोज्य 2300 Km. adjustable for one year	रु.______/- प्रति माह Rs.______/- Per month	रु.______/- प्रति कि.मी. Rs.______/- Per Km.

मैंने निविदा संबंधी सामान्य निबंधन व शर्तें पढ़ी हैं और समझ ली है और उनके अनुपालन के लिए सहमत हूँ।

I have read the General Terms and conditions of this Tender and have understood and agree to abide the same.

निविदाकार का नाम व हस्ताक्षर
रबर मोहर सहित
Name & Signature of Tenderer
With Rubber Stamp.